समाहरणालय,मधेपुरा।
(जिला राजस्व शाखा)
-: आदेश :-

पूर्व वर्षो की भांति इस वर्ष भी जिलान्तर्गत पड़ने वाले वैसे अप्रेल श्रेणी एवं अक्टुबर श्रेणी के सभी सैरातों , जिनका सुरक्षित जमा राशि 20000.00 (बीस हजार) रूपये से अधिक है एवं जिनकी बंदोवस्ती जिला स्तर से की जानी है, को नियमानुसार खुली डाक से वर्ष 2014-15 के लिए बंदोवस्ती करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को इस निदेश के साथ प्राधिकृत किया जाता है कि बंदोवस्ती के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी से उनका अनुमोदन 31 मार्च 2014 के पूर्व प्राप्त कर लेगें। किसी भी परिस्थिति में सैरातों की विभागीय वसूली नहीं होगी, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर हर हाल में 31 मार्च 2014 तक सैरातों की बंदोवस्ती कराना सुनिश्चित करेंगे। उच्चतम डाकवक्ता से बन्दोवस्ती की पूरी राशि तथा स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क एवं कम्प्यूटरीकरण शुल्क प्राप्त कर सम्बन्धित अंचल नाजिर से ही नाजिर रसीद निर्गत करायेंगे तथा नाजिर रसीद की छाया प्रति अनुमंडल स्तर पर संधारित सैरात बन्दोवस्ती अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे तदोपरांत बन्दोवस्ती का परवाना अंचल अधिकारी से निर्गत करायेंगे एवं उसकी छाया प्रति अनुमंडल स्तरीय अभिलेख में संलग्न करेंगे । बंदोवस्ती के पश्चात् बंदोवस्ती संबंधी अभिलेख का shadow Record संबंधित अंचल अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे ताकि रिटर्न-I आदि तैयार करने में कठिनाई न हो सके।

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को यह भी निदेश दिया जाता है कि जिस सैरातों का वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बंदोवस्ती हेतु सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण जिला सुरक्षित जमा निर्धारण समिति अथवा प्रमंडल स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाना है, वैसे सैरातों से संबंधित अभिलेख अंचलों से प्राप्त कर शीघ्रतिशीघ्र जिला राजस्व शाखा को अनुशंसा सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय ।

ह०/
समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 179-2/रा० दिनांक 21-02-14/

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार , मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/02/14
समाहर्त्ता,
मधेपुरा।